सं. 4/10/2012-डीजीएडी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
(पाटनरोधी अनुभाग)

****

दिनांक 02 अप्रैल, 2012

<u>व्यापार नोटिस सं. 03/2012</u>

1. वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क तथा तत्संबंधी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 7 की ओर व्यापार और उद्योग का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. व्यापार नोटिस सं. 1/2011 के पैरा 2 के अनुसार, यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सार्वजनिक सुनवाई में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता है तो उसकी एक प्रति सभी प्रतिभागियों को सुनवाई से पूर्व (एक दिन) प्रदान की जानी है। इस संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह सूचित किया जाता है कि एतद्पश्चात ऐसे दस्तावेज सुनवाई से पूर्व (एक दिन) सभी प्रतिभागियों को ई-मेल द्वारा भी परिचालित किए जा सकते हैं।

हस्ता./
(संतोष कुमार)
उप सचिव
कृते निर्दिष्ट प्राधिकारी

सेवा में,

सभी संबंधित

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, वाणिज्य विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस व्यापार नोटिस को पाटनरोधी>व्यापार नोटिस खंड के तहत विभाग की वेबसाइट पर डाला जाए।